रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण संख्या :– 168/2024 गिरवर सिंह बनाम राजेश वगै0 प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	
28.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम कासीमपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 940/926 रकबा 0.0280 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदक की खातेदारी भूमि है। आवेदकगण की भूमि इसी सरहद में खसरा नं. 940/926 है जिसका सीमाज्ञान भी तहसीलदार के आदेश से किया जा चुका है। आवेदक ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश से दिनांक 27.04.2024 को पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाया है जिससे प्रार्थी पूर्णतया संतुष्ट हैं। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थी पत्थरगडी करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगडी करवाने में प्रार्थी को कोई आपति नहीं है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगडी करवाने के आदेश पारित किये जायें। जबाब में अधिवक्ता अनावेदकगण ने मुताबिक रिपोर्ट सीमाज्ञान पत्थरगडी करवाने में आपति जाहिर की ओर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम कासीमपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 940/926 रकबा 0.0280 है0 अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। अनावेदिका संख्या 9 ने भी पत्रावली में ईकबालिया जबाब पेश किया है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 27.04.2024 के अनुसार पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कासीमपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 940/926 रकबा 0.0280 है0 भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.04.2024 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा काश्त का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार पत्थरगड़ी करवायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	